

प्रेस नोट दिनांक-29.10.2022

(1). दिनांक-29.10.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 29.10.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना राजापुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता रीता पत्नी गनेशी निवासी हनुमानगंज थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के कब्जे से 11 अदद बीयर की बोतल, 23 अदद देशी क्वार्टर, 03 अदद पाउच 08 पीएम पैकेट 180 एमएल, 01 क्वार्टर एम्पीरियल ब्लू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

11 अदद बीयर की बोतल, 23 अदद देशी क्वार्टर, 03 अदद पाउच 08 पीएम पैकेट 180 एमएल, 01 क्वार्टर एम्पीरियल ब्लू

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना राजापुर
2. आरक्षी अंकित शुक्ला
3. आरक्षी उमेन्द्र क्षिपाठी
4. महिला आरक्षी निशा अहिरवार

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजा निषाद पुत्र मंगीलाल निषाद निवासी गोकुलपुरी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार

किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पांडेय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अवधेश मिश्रा, न्यायालय सुरक्षा प्रभारी श्री परितोष दीक्षित व निरीक्षक एलआईयू श्री सूर्यकान्त अरुण राय के साथ एसचेक डॉग स्क्वायड टीम बांदा, एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा न्यायालय परिसर कर्वी में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं की सघन चेकिंग की गयी।

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(क). प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य तथा उनकी टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त राकेश पुत्र बैजनाथ निवासी सुरजो का पुरवा मजार सुरौंदा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य थाना मऊ
2. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार
3. आरक्षी विवेक कुमार

(ख). प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में उ0नि0 इमरान खान तथा उनके हमराही द्वारा वारंटी नत्थू पुत्र चुनना यादव निवासी हिनौता माफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 इमरान खान थाना भरतकूप
2. आरक्षी अंकित राजपूत

(7) श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अतुल शर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी में बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 02 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया।

(क). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री गिरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बलदेव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी रामकेश यादव द्वारा अभियुक्त करण कोल पुत्र झलर पुत्र कृपाल कोल निवासी मुरकड़ा मजरा ऊंचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 141/14 धारा 324/504 आईपीसी

2. मु0अ0सं0 05/15 धारा 110 सीआरपीसी
3. मु0अ0सं0 116/22 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट

बरामदगी

01 किलो 200 ग्राम गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री बलदेव सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी रामकेश यादव

(ख). प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजवी कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त इस्माइल खां पुत्र इसहाक खां निवासी रायपुर बांगर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी

01 किलो 100 ग्राम गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना राजापुर
2. आरक्षी सुभम त्रिपाठी
3. आरक्षी उमेन्द्र त्रिपाठी

(7). आज दिनांक-28.10.2022 को श्रीमान आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा श्री आर0पी0 सिंह तथा श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री विपिन कुमार मिश्रा द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सभागार में श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद की उपस्थिति में कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में संयुक्त विकास आयुक्त चित्रकूटधाम मंडल बांदा श्री रमेशचंद्र पांडेय, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पांडेय एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।